

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल उत्तर बैतूल में भूमिगत रकबा 107.816 हेक्टेयर वनभूमि में भूमिगत कोयला खनन कार्य के उपयोग हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथारखेड़ा जिला-बैतूल को निम्नलिखित शर्त पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:- <ul style="list-style-type: none"><li>• वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने के बाद भी भूमिगत खनन कार्य करने के कारण प्रकरण में हुए खनन के फलस्वरूप दाण्डिक वृक्षारोपण एवं दाण्डिक एन.पी.व्ही. की शर्त अधिशोषित की जाय।</li></ul>
----	--	----	---

दिनांक: 06/11/18  
स्थान: भोपाल



(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव  
अनिल कुमार खरे  
म.प्र. वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)